



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277026
CG-DL-E-10102026-277026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5184]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5184]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

(फिरोजपुर मंडल)

अधिसूचना

फिरोजपुर, 30.सितम्बर, 2026

का.आ. 5392(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008, की धारा 2 के खण्ड 20 एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य — निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	आर्बिट्रेटर	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
	उप आयुक्त, कपूरथला	कपूरथला	पंजाब	सानेहवाल—जालंधर सिटी खंड पर वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/फगवाडा के अधीन मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या एस-79 और एस-80 के स्थान पर 5 मीटर x

1.				5 मीटर आकार के सीमित ऊंचाई वाले सबवे का निर्माण, धक्का विधि द्वारा।
----	--	--	--	---

[फा. सं. 635— डब्लू/175/2025/एल.डी.एच]

एस. के. श्रीवास्तव, सीएओ/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(Northern Railways)****(FIROZPUR DIVISION)****NOTIFICATION**

Firozpur, the 30th September, 2026

S.O. 5392(E).— In exercise of the power conferred by clause 20 F (6) of section 2 of the Railway's (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to Perform the functions of the Arbitrator in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the official Gazette.

TABLE

S.No.	Arbitrator	District	State	Name of Railway Project
1.	2.	3.	4.	5.
1	Deputy Commissioner, Kapurthala	Kapurthala	Punjab	Construction of Limited Height Subway of size 5mtr x 5mtr by pushing method in lieu of manned Level crossing no S-79 & S-80 on Sanhwal-Jalandhar City section under Senior Section Engineer/Phagwara.

[F. No. 635-W/175/2025/LDH]

S. K. SRIVASTAVA, CAO/Const./RSP

अधिसूचना

फिरोजपुर, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5393(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008, की धारा 2 के खण्ड 7-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य — निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में समक्ष प्राधिकारी के रूप में कार्य निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	समक्ष अधिकारी	जनपद	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	उपमंडल मजिस्ट्रेट, फगवाडा	कपूरथला	पंजाब	सानेहवाल—जालंधर सिटी खंड पर वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/फगवाडा के अधीन मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या एस— 79 और एस—80 के स्थान

				पर 5 मीटर x 5 मीटर आकार के सीमित ऊंचाई वाले सबवे का निर्माण, धक्का विधि द्वारा।
--	--	--	--	---

[फा. सं. 635- डब्लू/175/2025/एल.डी.एच]

एस.के. श्रीवास्तव, सीएओ/निर्माण/आरएसपी

NOTIFICATION

Firozpur, the 30th September, 2026

S.O. 5393(E).— In exercise of the power conferred by clause 7-A of section 2 of the Railway's (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to Perform the functions of the Competent Authority in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the official Gazette.

TABLE

S.No.	Competent Authority	State	Name of Railway Project
1.	2.	3.	4.
1	Sub-Divisional Magistrate, Phagwara	Punjab	Construction of Limited Height Subway of size 5mtr x 5mtr by pushing method in lieu of manned Level crossing no S-79 & S-80 on Sanehwal-Jalandhar City section under Senior Section Engineer/Phagwara.

[F. No. 635-W/175/2025/LDH]

S. K. SRIVASTAVA, CAO/Const./RSP